

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत (27.05.15)

आशाराम पुत्र श्रवण जाति मीना निवासी आदलवाडाखुर्द तहसील चौथ का बरवाडा
बनाम

राजस्थान सरकार

किस्म मुक,- अपील अन्तर्गत धारा 75राज.भू.-राजस्व अधि.1956 अपील संख्या-296/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
28.05.15	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त आशाराम पुत्र श्रवण जाति मीना निवासी आदलवाडाखुर्द तहसील चौथ का बरवाडा के अभिभाषक उपस्थित हुए।</p> <p>अपीलान्त अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्त अधिवक्ता ने बहस में बताया कि न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का नोटिस नहीं दिया है न ही प्रोपर तामील हुयी है। अपीलार्थी को बिना सुने व मौके की स्थिति का निरीक्षण किये बगैर ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देते हुए पारित किया गया है। जिसके कारण अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।</p> <p>अपीलार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ग्राम आदलवाडा खुर्द तहसील चौथ का बरवाडा की आराजी खसरा नम्बर 588रकबा 0.25हेक्टर किस्म गै.मु. चारागाह भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करूंगा तथा अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहा है।</p> <p>नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 794/2013निर्णय दिनांक 15.01.13. की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी ने भौतिक रूप से कब्जा हटाने को कहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा में शपथ पत्र पेश करने बाबत निवेदन किया है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी नायब तहसीलदार के समक्ष अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र पेश करें तथा नायब तहसीलदार मौके पर अतिक्रमण की अवस्थिति के संबंध में भौतिक रूप से जांच करावें। यदि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा यदि अतिक्रमण नहीं हटाया हो तो सिविल कारावास की सजा का दण्ड यथावत् समझा जावे। अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली व शास्ति का निर्णय यथावत् रखा जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28.05.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> (बलदेव सिंह) अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर (राज.)</p> <p> अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर (राज.)</p>